रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 1998/फाल्गुन 7, 1919
No. 125] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 1998/PHALGUNA 7, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 39/1997-2002

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1998

का.आ. 155(अ).—सांविधिक आदेश संख्या 283(अ) दिनांक 31-3-97 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड(2) में प्रकाशित निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. निर्यात और आयात नीति के पैरा 8.10 को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा किसी भी स्रोत से प्राप्त अपरिष्कृत हीरों के आयात हेतु अपरिष्कृत हीरों के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। वैध प्रतिपूर्ति/हीरा अग्रदाय लाइसेंस धारक, निर्यातोन्मुख यूनिटों/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को इन हीरों की आपूर्ति करने अथवा इन्हें पुन: निर्यात करने का दायित्व भी शामिल है। इन अपरिष्कृत हीरों की आपूर्ति/निर्यातको लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 12 महीनों की अवधि के भीतर पूरा करना होगा।

2. निर्यात आयात नीति के पैरा 8.11 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : इस संबंध मे निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति बल्क लाइसेंसों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं :

   क. मैसर्स हिन्दुस्तान डायमण्ड कम्पनी लि.(एच डी सी एल), मुम्बई,

   ख. एम एम टी सी लि., नई दिल्ली,

   ग. वह निर्यातक जिसका कटे हुए और पालिश किए हुए हीरों के निर्यात का वार्षिक औसत पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 75 करोड़ रुपये से कम नहीं है।

   घ. कोई विदेशी कम्पनी जिसका शाखा कार्यालय भारत में है और जिसका हीरों का वार्षिक औसत उत्पादन पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 150 करोड़ रुपये से कम नहीं है।

3. निर्यात आयात नीति के पैरा 8.13 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

निजी/सार्वजनिक बोन्डेड वेअरहाऊस

निजी/सार्वजनिक बोन्डेड वेअरहाऊस कटे हुए और पॉलिश किए हुए, कटे हुए और पॉलिश किए हुए रंगीन रत्नों के आयात और इनके पुनः निर्यात, अपरिष्कृत हीरों, बिना काटे गए व बिना सैट किए गए बहुमूल्य और अर्द्धबहुमूल्य पत्थर के आयात और पुनः निर्यात के लिए ई पी जैड/डी टी ए में स्थापित किए जा सकते हैं और आर ई पी/जी ई एम आर ई पी/हीरा अग्रदाय लाइसेंसों के तहत अपरिष्कृत हीरों, बिना कटे और बिना सैट किए हुए बहुमूल्य और अर्द्धबहुमूल्य हीरों की डी टी ए बिक्री बशर्ते निर्यात आयात नीति के पैरा 9.21 में दी गई बातों के बावजूद सीमाशुल्क जहां कहीं लागू हो का भुगतान किया जाए । यह निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बान्डिड वेयरहाऊस घरेलू व्यापार क्षेत्र में अपरिष्कृत हीरों, बिना काटे एवं बिना सैट किए हुए बहुमूल्य एवं अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थरों की बिक्री के लिए प्रक्रिया पुस्तक खंड-1 के पैरा 8.24 एवं 8.25 में दी गई प्रक्रिया को अपनाएगें । कटे एवं पालिश किए हुए हीरों एवं कटे और पालिश किए हुए रंगीन रत्नों का आयात एवं पुनः निर्यात 5 प्रतिशत की न्यूनतम मूल्य संयोजन की शर्त के अधीन होगा ।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

[फाइल सं. 1/296/97/पी सी-2]

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 39/1997-2002

New Delhi, the 26th February, 1998

S.O. 155(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 19.2 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.3 of the Export and Import Policy, 1997-2002 published in the Gazette of India extraordinary, Part-II, Section 3-Sub-section (ii) vide S.O. No. 283(E) dated 31-3-97, the Central Government hereby makes following amendments in the Export and Import Policy, 1997-2002:

1. Para 8.10 of Exim Policy shall be amended to read as:

   Bulk licence for rough diamonds are issued for import of rough diamonds from any source, with an obligation to supply such diamonds to the holder of valid REP/Diamond Imprest Licence, EOU/EPZ units or to re-export the same. The supply/export of such rough diamonds shall be completed within a period of 12 months from the date of issuance of licence.

2. Para 8.11 of Exim Policy shall be amended to read as:

   The following persons are eligible to apply for Bulk Licences in accordance with the procedure specified in this behalf.

   a. M/s Hindustan Diamond Company Ltd., (HDCL), Mumbai;

   b. MMTC Ltd., New Delhi;

   c. Exporter whose annual average FOB value of export of cut and polished diamonds during the preceding three licensing years has been not less than Rs. 75 Crores.

   d. Any overseas company with its branch office in India whose annual average turnover in diamonds during the preceding three licensing years is not less than Rs. 150 Crores.

3. Para 8.13 of Exim Policy shall be amended to read as:

Private/Public Bonded warehouse

Private/Public Bonded Warehouses may be set up in EPZ/DTA for import and re-export of cut & polished diamonds, cut & polished coloured gemstones, import and re-export of rough diamonds uncut & unset precious & semi-precious stones and DTA sales of rough diamonds, uncut & unset precious & semi-precious stones against REP/GEM REP/Diamond Imprest Licences subject to payment of customs duty wherever applicable; notwithstanding anything contained in para 9.21 of Exim Policy. These private/public bonded warehouse for selling rough diamonds, uncut & unset precious & semi-precious stones in DTA shall follow the procedure given in para 8.24 and 8.25 of Handbook of Procedures Vol-I. Import & re-export of cut & polished diamonds & cut & polished coloured gemstones will be subject to achievement of minimum value addition of 5%.

This issues in public interest.

[F. No. 1/296/97/PC.II]

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998